

पत्रांक110...../सा०सु०, दिनांक23.07.2020.....।
प्रेषक,
सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
पटना।
सेवा में,

1. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना
2. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला। (प्रखण्ड की बैठक के संबंध में)
3. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी (शिक्षा एवं समग्र शिक्षा) पटना।
5. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पटना।
6. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पटना। (स्वास्थ्य एवं यू०डी०आई०डी० इन्चार्ज)
7. जिला श्रम एवं रोजगार पदाधिकारी, पटना।
8. जिला उद्योग पदाधिकारी, पटना।
9. जिला कार्यक्रम समन्वय, प्रधानमंत्री आवास योजना पटना।
10. जिला विकास आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी।
11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०), पटना
12. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, पटना
13. जिला स्तर पर जीविका के कार्यक्रम समन्वयक।

विषय:- Covid-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेसी दिशा-निर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Jiomeet) के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिनांक 24.07.2020 को 11:00 पूर्वाह्न को पटना प्रमण्डल, पटना में ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना का पत्रांक 1021, दिनांक 18.07.2020

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार पटना के द्वारा Covid-19 के दौरान दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेसी दिशा-निर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Jiomeet) के माध्यम से राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए प्रमण्डलवार लोक अदालत दिनांक 24.07.2020 11:00 पूर्वाह्न को पटना प्रमण्डल में ऑनलाईन लोक अदालत के तहत सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित है। इस संबंध में आदेश दिया जाता है कि आप अपने मोबाईल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Jiomeet) के माध्यम से ससमय जुड़ें रहेंगे। संबंधित

पदाधिकारी इस न्यायालय के साथ ऑनलाईन जुड़ने हेतु Jiomeet का आईडी0 पासवर्ड का उपयोग करेंगे, जो निम्नवत है।

Jiomeet ID and PASSWORD

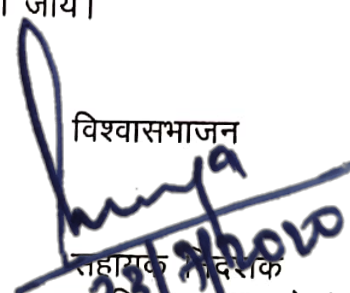
Meeting id 312-653-5221

Password-camS9

Link:-

https://jiomeelpro.jio.com/shortener?hash=PWbAJeCQ_bO_1afffd59227e1595317736918

अतः अनुरोध है कि राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों के लिए दिनांक 24.07.2020 को ऑनलाईन लोक अदालत सफल बनाने की कृपा की जाय।
अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
पटना

ज्ञापांक .110../सा०सु०,दिनांक....23.07.2020...।
प्रतिलिपि: राज्य आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक 1021 दिनांक 18.07.2020 के
क्रम में सादर सूचनार्थ ।
प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
पटना